



# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

## प्रेस नोट

दिनांक- 13.04.2026

- ◆ अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चन्दौली पुलिस द्वारा निरन्तर कार्यवाही जारी ।
- ◆ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा टैंकर का लाक तोड़कर तेल कटिंग करते हुए, दो अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- ◆ मौके से एक टैंकर वाहन व तेल कटिंग से सम्बन्धित उपकरण किये गये बरामद ।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के टैंकर से चालक तथा उसके सहयोगी द्वारा टैंकर संख्या WB11C5594 का लाक तोड़कर डीजल चोरी करते हुए उपकरण व चोरी का डीजल बरामद कर किया गया । पूर्ति निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 12.04.2026 को मु0अ0सं0 219/2026 धारा 305(b),334(2),317(2) बी.एन.एस पंजीकृत करते हुए अभियुक्त 1. टैंकर चालक- शोएब अहमद पुत्र साहब अहमद निवासी ग्राम रेमा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 36 वर्ष व 2. सहयोगी- प्रहुम पुत्र स्व0 बाबुलाल निवासी रेमा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 23 वर्ष को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. टैंकर नं0 WB11C5594 का चालक- शोएब अहमद पुत्र साहब अहमद निवासी ग्राम रेमा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 36 वर्ष
2. प्रहुम पुत्र स्व0 बाबुलाल निवासी रेमा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 23 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 219/2026 धारा 305(b),334(2),317(2) बी.एन.एस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

### गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक –11.04.2026

समय – 18.00 बजे


स्थान – थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

**बरामदगी का विवरण-**

टैंकर नं0 WB11C5594,

एक प्लास्टिक की बालटी जिसमे करीब 08 लीटर डीजल,

प्लास्टिक की 03 मीटर पाईप व एक प्लास

 कोतवाली चन्दौली पुलिस व थाना इलिया द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम के अभियोग में अभियुक्त व वर्तमान समय में गोतस्करों का सहयोग करने वाले 01 अभियुक्त (आरक्षी) को किया गया गिरफ्तार ।

चन्दौली- उच्चाधिकारियों के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली विजय बहादुर सिंह व थानाध्यक्ष इलिया चन्दन कुमार राय के नेतृत्व में थाना चन्दौली व इलिया पुलिस टीम द्वारा थाना इलिया पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-27/2026 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में गिरफ्तार अभियुक्त से प्रारम्भिक पूछताछ, मोबाइल फोन से व्हाट्सअप कॉल/चैट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त (आरक्षी) सत्येन्द्र यादव पुत्र भगवती प्रसाद यादव निवासी ग्राम सुडारी थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 26 वर्ष जो पूर्व में थाना सैयदराजा पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं- 131/2025 धारा 7/8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली में वांछित चल रहे थे, की गिरफ्तारी दिनांक 12.04.2026 को पलई बाजार थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर से किया गया है आरक्षी वर्तमान में निलम्बित चल रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा गोतस्करों को चन्दौली का बार्डर पार कराने तथा पुलिस की गतिविधि का लोकेशन, पुलिस गश्त व तस्करी हेतु सुरक्षित रास्तों के सम्बन्ध में सूचना दी जाती थी जिससे गोतस्करों द्वारा गोतस्करी का अपराधिक कृत्य सरलता से किया जा सके उसके बदले अभियुक्त द्वारा गोतस्करों से आनलाइन व आपलाइन माध्यम से धन अर्जित किया जा रहा था।

#### अभियुक्त का नाम: व पता-

आरक्षी सत्येन्द्र यादव पुत्र भगवती प्रसाद यादव निवासी ग्राम सुडारी थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 26 वर्ष वर्तमान नियुक्ति -थाना चकरघड़ा जनपद चन्दौली

#### गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-27/2026 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम , धारा 61(2) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली ।

2-मु0अ0सं- 131/2025 धारा 7/8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।


#### गिरफ्तारी का समय व स्थान-


स्थान:-पलई बाजार थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर

दिनांक:-12.04.2026 समय:-19.30बजे

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ०नि० तरुण कुमार कश्यप थाना चन्दौली जनपद चन्दौली
- 2.हे०का० रविशंकर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली
- 3.का० अरविन्द कुमार थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

 जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा वर्ष 2025 के दौरान गोतस्करी के सम्बन्ध में कुल 162 अभियोग 410 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए 1297 राशि गोवंश व 90 किग्रा० गोमांस, 178 वाहन बरामद किये गये जिसमें से 17 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा निवारक कार्यवाही व गैंगस्टर एक्ट के तहत 9 अभियोग 38 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए कार्यवाही की गयी। तथा वर्ष 2025 के दौरान 01 प्रकरण में कुल 73,96,820 रुपये की सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया ।

 जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा वर्ष 2026 में अब तक गोतस्करी के सम्बन्ध में कुल 46 अभियोग 127 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए 345 राशि गोवंश व 55 वाहन बरामद किये गये जिसमें से 01 अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा निवारक कार्यवाही, 01 अभियुक्त की हिस्ट्रीशीट खोली गयी व गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 अभियोग 03 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए कार्यवाही की गयी। तथा वर्ष 2026 में अब तक 01 प्रकरण में कुल 22,38,000 रुपये की सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया ।